

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारह औरंगाबाद
सत्र वाद सं० 235/20 (260/12)
बिहार राज्य बनाम रामपुकार पासवान

14.12.2021— इस वाद के एक मात्र अभियुक्त राम पुकार पासवान की कोई पैरवी नहीं है बार बार पुकार करने के बाद भी वह न्यायालयमें उपस्थित नहीं हुआ। अभिलेख अवलोकन से पता चलता है कि पूर्व में दिनांक 19.03.2021 तथा पूर्व तिथियों पर भी कोई पैरवी नहीं किया तथा दिनांक 26.11.2021 को स्पष्ट निर्देश के बाद भी वो आज उपस्थित नहीं हैं यदपि की उसे नहीं आने की स्थिति में बंधपत्र खारिज करने की चेतावनी दे दी गयी थी। यह जमानत के शर्तों का सरासर दुर्योपयोग है अतः अभियुक्त का बंधपत्र खारिज किया जाता है और अभियुक्त के उपस्थिति के लिए यह अभिलेख दिनांक 05.01.2022 को पुनः प्रस्तुत करें। कार्यालय लिपिक अभियुक्त के विरुद्ध अजमानतिय अधिपत्र निर्गत करें।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बारह
औरंगाबाद